प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्री यशोवर्धन शर्मा पुत्र श्री भवानी शंकरजी शर्मा, खागल मौहल्ला, वार्ड संख्या 04 बाडमेर		लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीनमाल
प्रकरण अपील		50/2017
कम्प्यूटर आई.डी		2017/

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

07.11.2017	अपीलांट व राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी का ई मेल से जवाब प्राप्त हुआ। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा जवाब में व्यक्त किया गया कि अपीलांट का आवेदन पत्र 29.08.2017 को कार्यालय मे प्राप्त हुआ। अपीलांट द्वारा आवेदित सूचना के संबध में नियमानुसार शुल्क जमा कराने हेतु जरिए पत्रांक/रीडर/सू.अ.अ./1609 दिनांक 27.09.2017 के द्वारा अपीलांट को लिखित में सूचित करने के उपरांत भी राशि जमा नहीं करवाई गई है व न ही उपस्थित हुआ।निर्धारित शुल्क जमा करवाने पर सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी।अतः अपील प्रिमिच्योर होने से खारिज की जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील में सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत पोस्टल आर्डर संख्या 40 एफ 797065 के संलग्न आवेदन पत्र द्वारा सूचना चाही गई। अपीलाट का सूचना का अधिकार अधिनियम 6(1) का आवेदन पत्र राज्य लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 29.08.2017 को प्राप्त होने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में आवेदित सूचना के संबध में शुल्क जमा करवाने हेतु पत्रांक/रीडर/सू.अ.अ./1609 दिनांक 27.09.2017 के द्वारा अपीलांट को लिखित में सूचित किया जाना पाया जाता है। इस प्रकार अपीलांट को चाही गई सूचना के संदर्भ में राशि जमा कराने हेतु 30 दिन की अवधि पूरी होने में 2 दिन पूर्व ही राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिए डाक से सूचित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में 30 दिन की अवधि में सूचना देने की निर्धारित अवधि अभी पूर्ण होना नहीं पाया गया। अपीलार्थी सूचना प्राप्त करने हेतु उसको सूचित की गई शुल्क राशि जमा करवा कर सूचना दिए जाने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि जो अभी पूर्ण नहीं हुई है, सूचना प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में सूचना देने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि पूर्ण नही होने से अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई प्रथम अपील Maintainable नही होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

(बी.एल.कोठारी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर) जालोर